सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का

षष्ठ सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का षष्ठ सत्र सोमवार, दिनांक 29 फरवरी, 2016 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा मंगलवार, दिनांक 5 अप्रेल, 2016 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ । इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 27 अप्रेल, 2016 को हुआ ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
षष्ठ सत्र	23	फरवरी माह – 29 मार्च माह – 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 28, 29, 30 व 31 अप्रेल माह – 1, 4 व 5

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2016 को सदन के समक्ष दिये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा के विशिष्ट सचिव द्वारा सदन की मेज पर रखी गई। दिनांक 1 मार्च, 2016 को सदस्य श्री मोहनलाल गुप्ता द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल ने किया। प्रस्ताव पर चार दिन हुई चर्चा के पश्चात् 4 मार्च, 2016 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने वाद–विवाद का उत्तर दिया। वाद–विवाद में 57 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 1 मार्च, 2016 को 10; 2 मार्च, 2016 को 14; 3 मार्च, 2016 को 23 तथा 4 मार्च, 2016 को 10 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 41, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 9, बहुजन समाज पार्टी के दो, नेशनल पीपुल्स पार्टी एवं एनयूजेडपी के एक–एक तथा तीन निर्दलीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेने वाली 10 महिला सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी की 8, इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत एवं एनयूजेडपी की श्रीमती कामिनी जिंदल थी।

उल्लेखनीय है कि माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने जब सदन में अभिभाषण आरम्भ किया तब संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिये जाने का आग्रह किया। तत्पश्चात् अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया। षष्ठ सत्र में माननीय राज्यपाल के आगमन (प्रोसेशन) हेतु निर्धारित प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया तथा सदन में आसन को पुष्पों से सुसज्जित किया गया।

सभापति तालिका में मनोनयन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 29 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(1) के अन्तर्गत श्री श्रीचन्द कृपलानी को सभापति तालिका में सदस्य मनोनीत किया गया है।

सदन में अव्यवस्था और बैठक का स्थगन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 2 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष द्वारा शून्य काल में स्थगन प्रस्तावों पर दी जा रही व्यवस्था पर डॉ. किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा आपत्ति किये जाने पर सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सदन की बैठक मध्याह्न पश्चात् 12.19 बजे से 2.00 बजे तक स्थगित की गई।
2. दिनांक 28 मार्च, 2016 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री द्वारा आनंदपाल सिंह के बारे में कथित रूप से गलत वक्तव्य दिये जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर भारी–शोरगुल एवं नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हो गया।

सदन से बहिर्गमन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 1 मार्च, 2016 को श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के विरुद्ध सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के सम्बन्ध में सदन की नेता द्वारा सदन में आकर खेद प्रकट नहीं किये जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया।
2. दिनांक 22 मार्च, 2016 को श्री गुलाबचन्द कटारिया, गृह मंत्री द्वारा राज्य में बढ़ती गैंगवार व निरन्तर बढ़ रहे अपराधों के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
3. दिनांक 28 मार्च, 2016 को प्रश्न संख्या 351 पर श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त नहीं होने के विरोध में वे सदन के वैल में धरने पर बैठ गये। तत्पश्चात् कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

सदन में धरना

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 28 मार्च, 2016 को प्रश्न संख्या 351 पर श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त नहीं होने के विरोध में वे सदन के वैल में घरने पर बैठ गये।

व्यवस्था का प्रश्न

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 15 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष ने अनुदान की मांगों पर सदन में कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी – 'अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में

कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिये आती है उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।'

2. माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में दिनांक 15 मार्च, 2016 को सदस्यों के लिखित भाषण सदन की मेज पर रखे जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गई –

'मुझे माननीय सदस्यों को एक बात ओर सूचित करनी है कि अध्यक्षीय आज्ञा में सिर्फ बजट के वाद–विवाद तक ही आपका लिखा हुआ भाषण था, उसको टेबिल करने की अनुमति थी, वह कट मोशन्स पर नहीं थी।'

इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 17 मार्च, 2016 को माननीय सदस्यों के लिखित भाषण के सदन की मेज पर रखे जाने हेतु माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को यथावत रखते हुए पूर्व में जारी किये विधान सभा बुलेटिन भाग–2, संख्या 13, दिनांक 22 फरवरी, 2016 को निरस्त किया।

3. दिनांक 17 मार्च, 2016 को अनुदान की मांग संख्या–24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार के समय श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा ने इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सबसे महत्त्वपूर्ण मांग पर विचार–विमर्श हो रहा है और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, फिर भी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो यहां होने चाहिए, वे यहां नहीं हैं। बिना उनकी मौजूदगी में जो चर्चा हो रही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'समस्त मंत्रीगण जिनकी आज यह मांग है, आसन आपसे निवेदन कर रहा है और स्पष्ट कर रहा है जिन अधिकारियों को मांग पर चर्चा

के समय यहां होना चाहिए था वे नहीं हैं और अभी तक अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ या उनके प्रसंग में आप अपना पत्र संसदीय कार्य मंत्री को सौंपे और उस पर संसदीय कार्य मंत्री को यह निर्देश दिये जाते हैं कि कठोर कार्यवाही की जाये।'

4. दिनांक 31 मार्च, 2016 को श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 पर विचार किये जाते समय व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से यह आपत्ति प्रकट की कि 'संविधान के अनुच्छेद 207 के तहत जिस बिल पर चर्चा हो रही है वह बिल 207 की परिभाषा और आर्टिकल 199 की परिभाषा में आता है और मनी बिल की परिभाषा में आता है। अनुच्छेद 207 में है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड 1 (क) से उप खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुर:स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसा करने वाला विधेयक विधान सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा। मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, यह सारा बिल इस बिल के क्लॉज 6 पर आप गौर फरमाएं, बिल के क्लॉज 6 में 'वित्त पोषण साधन का गठन और कृत्य और सरकारी सहायता :– (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तपोषण साधन के रूप में कार्य करने के लिए और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूंजी जुटाने और या कम लागत पर उधार लेने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड स्थापित करेगी।' 199 read with 207, Sir जिसमें गवर्नर की सेंक्शन के बिना बिल विधान सभा में नहीं आ सकता है। मैं जो दो आर्टिकल कोट कर रहा हूँ उसके साथ संविधान के अन्य प्रावधान भी हैं, लेकिन ये दो आर्टिकल ही काफी हैं, 199 ही काफी है इस बात के लिए कि यह बिना राज्यपाल की अनुमति के और हमको फाइनेंशियल लाइबिलिटी बताये बिना विधान सभा में विचारार्थ नहीं आ सकता। यह संवैधानिक आपत्ति है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस विधान सभा में इस बिल के जरिये आज तक सन् 2000 में जो किया गया, कंपनियों, विद्युत बोर्ड को वाइंड अप करके कंपनियां बनायी गयीं।'

इस पर श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने विचार प्रकट करते हुए कहा कि 'लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान के आर्टिकल 199 और 207 का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है, फाइनेंस बिल की श्रेणी में आता है इसलिए माननीय राज्यपाल की पूर्वानुमति नहीं ली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ यह बिल रिप्लेसिंग बिल है। इस बिल से पहले जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, उस ऑर्डिनेंस में उद्देश्य व कारणों के कथन में आखिरी पैरा में लिखा है–''चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थिति विद्यमान थी जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था। इसलिए पुन: 7 जनवरी, 2016 को राजस्थान

राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016, (2016 का अध्यादेश संख्या 1) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, भाग संख्या 4–ख असाधारण में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रकाशित हुआ। यानी माननीय राज्यपाल महोदय ने खुद के नाम से, खुद के हस्ताक्षर से जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उसका रिप्लेसिंग बिल हम लेकर आये हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से जो संवैधानिक बात उठायी है उनका कोई औचित्य नहीं बनता। इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी। According to the chair, This dosen't quality as a Money Bill.'

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 151 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 7951 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये । प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 3669 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 514 तारांकित प्रश्न, प्रश्न–सूची में सूचीबद्ध किये गये । 45 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 40–40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 5 सदस्यों ने 39–39, 2 सदस्यों ने 38–38 तथा शेष 88 सदस्यों ने 37–37 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती सोना देवी, श्रीमती कामिनी जिन्दल, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने सर्वाधिक 40–40 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 12 प्रश्न श्री रमेश तथा 11–11 प्रश्न श्री हीरालाल निवाई तथा श्री सुशील कटारा के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती अलका सिंह, श्रीमती कामिनी जिन्दल के 7–7 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 4282 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 702 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। 32 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 60–60 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 3 सदस्यों ने 59–59, 2 सदस्यों ने 58–58 तथा शेष 101 सदस्यों ने 57 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं श्रीमती सोना देवी, श्रीमती कमसा एवं श्रीमती गोलमा ने सर्वाधिक 60–60 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 20 प्रश्न श्री रमेश के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती गीता वर्मा के 14 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 278 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 272 प्रश्न शिक्षा विभाग, 238 प्रश्न जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 223 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 200 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 26–26 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, 25 प्रश्न सहकारिता तथा 24 प्रश्न महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 316 प्रश्न शिक्षा विभाग, 296 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 263 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा 260 प्रश्न ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 44 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 35 प्रश्न शिक्षा विभाग, 34 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 31 प्रश्न पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो पंचम् सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 2773 तारांकित प्रश्नों में से 378 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 471 में से 74, निर्दलीय सदस्यों के 210 में से 35, नेशनल पीपुल्स पार्टी के 71 में से 11, बहुजन समाज पार्टी के 64 में से 6 तथा एनयूजेडपी के 80 में से 10 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 3106 प्रश्नों में से 518 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 593 में से 87, निर्दलीय सदस्यों के 247 में से 38, बहुजन समाज पार्टी के 46 में से 9, एनयूजेडपी के 119 में से 13 तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्यों के 171 में से 37 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 471 तारांकित प्रश्नों में से 70 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 575 अतारांकित प्रश्नों में से 109 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 3198 तारांकित प्रश्नों में से 444 तथा 3707 अतारांकित प्रश्नों में से 593 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 316 तारांकित प्रश्नों में से 44 तथा 328 अतारांकित प्रश्नों में से 68 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी के 30 में से 7 तारांकित तथा 90 में से 20 अतारांकित प्रश्न तथा एनयूजेडपी के 80 में से 10 तारांकित तथा 119 में से 13 अतारांकित तथा निर्दलीय महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 7 तारांकित में से 3 एवं 26 अतारांकित में से 8 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत द्वारा प्रस्तुत 38 तारांकित में से 6 तथा प्रस्तुत 12 अतारांकित प्रश्नों में से कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो सका।

समीक्ष्य सत्र में सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 113 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 9 प्रश्न 1 मार्च, 2016 को तथा 7-7 प्रश्नों पर 30 एवं 31 मार्च, 2016 को चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

षष्ठ सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 27 माननीय सदस्यों के 145 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 35 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभ्युक्ति दी गई। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 16 सदस्यों ने 90 प्रस्ताव, 4 निर्दलीय सदस्यों ने 25 प्रस्ताव, बहुजन समाज पार्टी के 3 सदस्यों ने 18 प्रस्ताव, एनयूजेडपी के दो सदस्यों ने 9 प्रस्ताव तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के दो सदस्यों ने 3 प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में से इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत ने 13 प्रस्ताव, निर्दलीय श्रीमती अंजू देवी धानका ने 4 प्रस्ताव, नेशनल पीपुल्स पार्टी की श्रीमती गीता वर्मा ने 2 तथा एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी एवं श्रीमती कामिनी जिन्दल ने क्रमशः 8 एवं 1 प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री सुखराम विश्नोई ने सर्वाधिक 14 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। दो-दो सदस्यों ने 13-13 एवं 10-10 प्रस्ताव प्रस्तुत किये शेष 22 सदस्यों ने 9 अथवा इससे कम प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 106 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 221 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 88 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 133 सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 85 सदस्यों ने 173, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 12 सदस्यों ने 28, 5 निर्दलीय सदस्यों ने 8, बसपा के श्री पूरणमल सैनी ने 2, एनयूजेडपी के दो सदस्यों ने 8 तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा दो सूचनाएँ प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत सूचनाओं में से 38 सूचनाएँ 21 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 17 सदस्याओं ने 25 सूचनाएँ, एनयूजेडपी की दो सदस्याओं ने 8 सूचनाएँ तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत एवं निर्दलीय सदस्य श्रीमती अंजू देवी धानका ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की। महिलाओं में सर्वाधिक 5 सूचनाएँ भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास तथा 4-4 सूचनाएँ एनयूजेडपी की श्रीमती कामिनी जिन्दल एवं श्रीमती सोना देवी ने प्रस्तुत कीं। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास के अतिरिक्त श्री ललित कुमार, श्री शुभकरण चौधरी, श्री रामहेत सिंह यादव एवं श्री भंवर सिंह ने सर्वाधिक 5-5 सूचनाएँ प्रस्तुत कीं। 9 सदस्यों ने 4-4, 17 सदस्यों ने 3-3, 34 सदस्यों ने 2-2 तथा शेष 41 सदस्यों ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 49 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 77 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 69 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री/मंत्रियों द्वारा अभ्युक्ति दी गई। भारतीय जनता पार्टी के 45 सदस्यों द्वारा 71 विषय, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के दो सदस्यों ने 4 विषय तथा दो निर्दलीय ने एक-एक विषय उठाया। 6 महिला सदस्यों द्वारा 7 विषय सदन में उठाये गये। भारतीय जनता पार्टी की पाँच महिला सदस्यों ने 6 विषय तथा निर्दलीय श्रीमती अंजू देवी धानका ने एक विषय उठाया। सर्वाधिक 4-4 विषय श्री जोगाराम पटेल तथा श्री फूलचन्द भिण्डा ने उठाये। चार सदस्यों द्वारा 3-3, 14 सदस्यों द्वारा 2-2 तथा शेष 29 सदस्यों द्वारा एक-एक विषय उठाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

छठे सत्र में 20 सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से 20 मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इन विषयों पर सम्बन्धित मंत्रियों ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के 17 सदस्य, 2 निर्दलीय सदस्य तथा एनयूजेडपी की श्रीमती कामिनी जिन्दल शामिल है। सभी सदस्यों ने एक-एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में से चार महिला विधायक थीं।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में 43 सदस्यों ने 69 याचिकाओं का सदन में उपस्थापन किया। भारतीय जनता पार्टी के 36 सदस्यों ने 56, बहुजन समाज पार्टी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस एवं निर्दलीय

के दो–दो सदस्यों ने क्रमशः 4, 3 एवं 5 तथा एनयूजेडपी की श्रीमती कामिनी जिन्दल ने एक याचिका का उपस्थापन किया। 10 महिला सदस्यों ने 12 याचिकाएँ उपस्थापित कीं। याचिका उपस्थापित करने वाली महिला सदस्यों में से 9 भारतीय जनता पार्टी तथा एक एनयूजेडपी की श्रीमती कामिनी जिन्दल थी। श्री जोगाराम पटेल ने सर्वाधिक 5 याचिकाएँ उपस्थापित कीं। तीन सदस्यों ने चार–चार, एक सदस्य ने तीन, 11 सदस्यों ने 2–2 तथा शेष 27 सदस्यों ने एक–एक याचिका उपस्थापित की।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

षष्ठ सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 43, राजकीय उपक्रम समिति के 28, याचिका समिति, कार्य सलाहकार समिति एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के 4–4, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण सम्बन्धी समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, पर्यावरण समिति के 2–2 तथा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति 'क' एवं प्राक्कलन समिति 'ख' का एक–एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 9 मार्च, 2016 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री ने राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। सहायता मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर 10 माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तथा माननीय मंत्री ने सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया।

दिनांक 22 मार्च, 2016 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री ने राज्य में बढ़ती कथित गैंगवार व निरन्तर बढ़ रहे अपराधों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर श्री प्रद्युम्न सिंह ने स्पष्टीकरण चाहा। गृह मंत्री ने उठाये गये मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया।

दिनांक 29 मार्च, 2016 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री ने दिनांक 21 मार्च, 2016 को नागौर में पुलिस एवं अपराधियों में हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। गृह मंत्री के वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्टीकरण चाहा। श्री कटारिया ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाये गये मुद्दों का स्पष्टीकरण दिया।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 3 मार्च, 2016 को श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के विरुद्ध श्री ज्ञानदेव आहूजा सहित भाजपा के कतिपय सदस्यों द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2016 को आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सदस्य श्री आहूजा से सम्बन्धित जो आरोप श्री मदन राठौड़, सरकारी उप मुख्य सचेतक,

श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री जितेन्द्र गोठवाल, संसदीय सचिव द्वारा लगाये गये उनके सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण किया।

संदेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 22 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय जल दिवस पर सदन में निम्न संदेश दिया:-

'मेरे जन्म दिन के अलावा आज अन्तर्राष्ट्रीय जल दिवस भी है। जल है तो कल है। इसलिए मैं आप सभी सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि हर स्तर पर जल संरक्षण का संकल्प लें। लोगों को जल की बचत करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रदेश में चल रहे मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी भूमिका निभायें। आज की जल बचत, कल का भविष्य तय करेगी। बोर्ड पर लिखी जाने वाली लाइनें हैं। 'जल की बूंद-बूंद बचायें, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सजायें।' यह आज एक संदेश है देश का, जो हमने दे दिया।'

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

षष्ठ सत्र में दिनांक 9 मार्च, 2016 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने वर्ष 2015-16 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 16 मार्च, 2016 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

(ख) आय-व्ययक अनुमान 2016-17

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 8 मार्च, 2016 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 का उपस्थापन किया। आय-व्ययक पर चार दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ जिसमें 68 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । प्रथम दिन दिनांक 9 मार्च, 2016 को 5; 10 मार्च, 2016 को 22; 11 मार्च, 2016 को 20 तथा 14 मार्च, 2016 को 21 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। 14 मार्च, 2016 को चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों में से 11 सदस्यों ने अपना लिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखा। दिनांक 14 मार्च, 2016 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने चर्चा का उत्तर दिया। सामान्य वाद-विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 51, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 8, बसपा के 2, 5 निर्दलीय एवं नेशनल पीपुल्स पार्टी तथा एनयूजेडपी के एक-एक सदस्य ने भाग लिया। चर्चा में 11 महिला सदस्यों ने भाग लिया।

(ग) अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

समीक्ष्य सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ और शेष मांगों को 29 मार्च, 2016 को मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया।

मांग सं.	विभाग	तिथि	कटौती प्रस्ताव	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
16	पुलिस	15.03.2016	271	22
17	कारागार	15.03.2016	111	22
19	लोक निर्माण कार्य	16.03.2016	160	35
21	सड़कें एवं पुल	16.03.2016	357	35
24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	17.03.2016	353	27
42	उद्योग	18.03.2016	212	19
43	खनिज	18.03.2016	201	19
26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, और सफाई	21.03.2016	366	28
20	आवास	22.03.2016	141	19
29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	22.03.2016	174	19
49	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	22.03.2016	55	19
37	कृषि	28.03.2016	243	23
39	पशुपालन एवं चिकित्सा	28.03.2016	225	23
36	सहकारिता	28.03.2016	119	23
27	पेयजल योजना	29.03.2016	313	59
46	सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित)	29.03.2016	234	59

विधायी कार्य

(क) वित्तीय समितियों का गठन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 17 मार्च, 2016 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री कालूलाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसमें चारों वित्तीय समितियों के लिए 15–15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, पर एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाये जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें ।

(क) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 29 फरवरी, 2016 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये–

1. राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016 (वर्ष 2016 का अध्यादेश संख्या 1)
2. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (वर्ष 2016 का अध्यादेश संख्या 2)

(ख) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये । विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है –

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
1/2016	राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2016	16.3.2016	16.3.2016	16.3.2016
2/2016	राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2016	29.3.2016	30.3.2016	30.3.2016
3/2016	राजस्थान वित्त विधेयक, 2016	8.3.2016	30.3.2016	30.3.2016
4/2016	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016	1.3.2016	1.4.2016	1.4.2016
5/2016	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016	1.3.2016	1.4.2016	1.4.2016
6/2016	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016	1.3.2016	31.3.2016	31.3.2016
7/2016	राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016	21.3.2016	4.4.2016	4.4.2016
8/2016	राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016	29.3.2016	4.4.2016	4.4.2016
9/2016	राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016	29.3.2016	4.4.2016	4.4.2016
10/2016	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016	30.3.2016	1.4.2016	1.4.2016
11/2016	राजीव गांधी जनजातीय	30.3.2016	1.4.2016	1.4.2016

	विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन, और संशोधन) विधेयक, 2016			
12/2016	राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016	4.4.2016	5.4.2016	5.4.2016
13/2016	राजस्थान भूमि पुलिंग स्कीम विधेयक, 2016	4.4.2016	5.4.2016	5.4.2016

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य छठे सत्र में सदन में निम्नांकित दिवंगत व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया –

29.02.2016

1.	श्री सुशील कोईराला	पूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल	09.02.2016
2.	डॉ. बलराम जाखड़	पूर्व लोक सभा अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल, मध्यप्रदेश	03.02.2016
3.	श्री ओ.पी.मेहरा	पूर्व राज्यपाल, राजस्थान एवं महाराष्ट्र	08.11.2015
4.	श्री सैयद अहमद	पूर्व राज्यपाल, मणिपुर एवं झारखण्ड	27.09.2015
5.	श्री के.वी. कृष्णा राव	पूर्व राज्यपाल, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा जम्मू एवं कश्मीर	30.01.2016
6.	श्री जे.एफ.आर. जैकब	पूर्व राज्यपाल, गोवा एवं पंजाब	13.01.2016
7.	श्री वी. रामाराव	पूर्व राज्यपाल, सिक्किम	17.01.2016
8.	श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू एवं कश्मीर	07.01.2016
9.	श्री बीरबल राम	पूर्व सांसद 7, 8 एवं 10वीं लोक सभा तथा पूर्व सदस्य, 4व 5वीं विधान सभा	19.11.2015
10.	श्री प्रभुलाल रावत	पूर्व सांसद, 8 एवं 10वीं लोक सभा	13.10.2015
11.	श्री मोहम्मद माहिर आजाद	पूर्व सदस्य, 9, 11 एवं 12वीं विधान सभा	30.10.2015
12.	श्री जियालाल बंशीवाल	पूर्व सदस्य, 9 एवं 10वीं विधान सभा	25.09.2015
13.	श्री चम्पालाल बांठिया	पूर्व सदस्य, 9 एवं 10वीं विधान सभा	02.02.2016
14.	श्री रामकरण सिंह	पूर्व सदस्य, 2, 6 एवं नौवीं विधान सभा	04.10.2015
15.	श्री पृथ्वी सिंह	पूर्व सदस्य, सातवीं विधान सभा	11.12.2015
16.	श्री गुरुशरण छाबड़ा	पूर्व सदस्य, छठी विधान सभा	03.11.2015
17.	श्री सुरेश कुमार	पूर्व सदस्य, छठी विधान सभा	08.02.2016

18. श्री अब्दुल जब्बार	पूर्व सदस्य, तीसरी विधान सभा	25.01.2016

19. सियाचीन में हुए हिमस्खलन, पठानकोट वायु सैनिक अड्डे एवं पम्पोर जिले (जम्मू–कश्मीर) में हुए आतंकवादी हमले में शहीद जवानों के प्रति संवेदना

04.03.2016

20. श्री पी.ए. संगमा	पूर्व लोक सभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य मंत्री, मेघालय	04.03.2016

28.03.2016

21. श्री हरि सिंह	पूर्व सदस्य, 7, 9, 10 व 11वीं विस	23.03.2016

✧✧✧